



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 665 राँची, सोमवार,

21 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-140/2019-11512 (HRMS)/ श्री रामबालक कुमार, झा0प्र0से0, (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-कोडरमा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतराय, गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1798/जि0स0क0, दिनांक 07.10.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप बसंतराय प्रखण्ड में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के चयन का कार्य ससमय सम्पन्न करवाने में लापरवाही बरतने, उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1690, दिनांक 16.09.2016 एवं पत्रांक-1581, दिनांक 15.09.2016 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने एवं स्वेच्छाचारिता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10024, दिनांक 28.11.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-901/वि0, दिनांक 31.12.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि समाहरणालय गोड्डा, जिला समाज कल्याण शाखा के आदेश ज्ञापांक-847/02.06.2016 के माध्यम से बसंतराय प्रखण्ड में 118 आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी का चयन हेतु दिनांक 18.06.2016 से 17.07.2016 तक ग्राम सभा का निर्धारण जिला स्तर से किया गया था। उपायुक्त, गोड्डा के आदेश ज्ञापांक-962/ जि0स0क0, दिनांक

29.06.2016 के अनुपालन में दिनांक 11.07.2016 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतराय का प्रभार श्रीमती ऐलिना टुडू को इनके द्वारा सौंप दिया गया। फलतः उक्त तिथि के बाद के ग्राम सभा तथा अंतिम रूप से चयन करने हेतु संयोजक के रूप में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का दायित्व बनता है। साथी ही, इनके द्वारा कहा गया है कि उपायुक्त, गोड्डा के निदेशानुसार महिला पर्यवेक्षिका द्वारा टैब से विडियोग्राफी की गई है एवं उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1690, दिनांक 16.09.2016 एवं पत्रांक-1581, दिनांक 15.09.2016 की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवायी गई।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1272, दिनांक 09.02.2017 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-159/स्था0, दिनांक 19.03.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री रामबालक कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतराय, गोड्डा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM BALAK KUMAR JHK/JAS/207	श्री रामबालक कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतराय, गोड्डा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
